छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
Email id-henv.cg@nic.in

क्रमांक / 232 / 4166 / 2022 / 32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19 / 01 / 2023

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय : **छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के मार्गदर्शन के संबंध में।**

----0000----

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 के अंतर्गत 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्मित आवासीय भवनों का नियमितीकरण करने के संबंध मे मार्गदर्शन चाहा गया है। तत्संबंध में निम्नानुसार बिंदुवार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :-

1. **120 वर्गमीटर के भूखण्डों पर निर्मित भवन जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण किया गया है, का नियमितीकरण :-**

   अधिनियम की धारा 6-क (तीन) (क) के प्रावधान अनुसार 120 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर निर्मित भवन जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अतिरिक्त निर्माण, एफ.ए.आर. के अंतर्गत अथवा एफ.ए.आर. का उल्लंघन कर किया गया है, के नियमितीकरण में कोई शास्ति लिए जाने का प्रावधान नही है।

2. **120 वर्गमीटर के भूखण्डों पर निर्मित अनधिकृत भवन जिसमें अनुज्ञा प्राप्त नही की गई है, का नियमितीकरण :-**

   120 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर निर्मित भवन जिसमें अनुज्ञा प्राप्त किए बिना निर्माण किया गया है, के नियमितीकरण में शास्ति लिए जाने का प्रावधान नही है। 120 वर्गमीटर से बड़े भूखण्डों पर शास्ति निर्धारण के समय स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर शास्ति देय नही होगी किंतु अतिरिक्त निर्माण पर एवं ऐसे भवन जिनका निर्माण बिना भवन अनुज्ञा के किया गया है, पर नियमानुसार शास्ति का प्रावधान किया गया है।

3. **भू उपयोग परिवर्तन की स्थिति में शास्ति का निर्धारण :-**

   120 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर निर्मित भवन में यदि विकास योजना में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भू उपयोग परिवर्तन करने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (चार) (क) अनुसार प्रचलित कलेक्टर, गाईडलाईन दर का 05 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(सी.तिर्की)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

आवक क्रमांक ....
दिनांक ....

पृ. क्रमांक/233/4166/2022/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक/19/01/2023

प्रतिलिपि :—

1. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर

2. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

3. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर

4. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर

6. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

7. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नवा रायपुर अटल नगर

9. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

आवक क्रमांक 70
दिनांक 23 JAN 2023

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
20 JAN 2023
संचालक